

गाँधीवाद और लोहिया

सारांश

प्रस्तुत लेख में— महात्मा गाँधी और लोहिया के विचारों के साम्य को दर्शाया गया है। दोनों ही सम्प्रदायिक राजनीति विरोधी थे। दोनों ने साथ मिलकर सम्प्रदायिक दंगे की आग को शांत करने का प्रयास किया। डॉ लोहिया भारतीय जाति व्यवस्था के विरुद्ध थे, महात्मा गाँधी ने जाति व्यवस्था को शिथिल करने का विचार दिया था, जबकि डॉ लोहिया जाति उन्मुलन के पक्ष में थे। महात्मा गाँधी कुटी उद्योग के समर्थक थे। डॉ लोहिया ने इसी के अनुरूप छोटी मशीन का समर्थन किया। डॉ लोहिया महात्मा गाँधी की तरह भारत भूमि के विभाजन के विरुद्ध थे। डॉ लोहिया ने इसकी विस्तृत विवेचना अपनी पुस्तक विभाजन के गुनाहगार में किया है। अपने एक लेख में लोहिया गाँधी के तीन प्रकार के अनुयायीयों का उल्लेख करते हैं। दोनों के मध्य यह भी साम्य है कि उनके शिष्य उनके विचारों और कार्यकर्मों के आगे नहीं ले जा सके।

मुख्य शब्द : लोहिया, समाजवाद, दृष्टिकोण, सैद्धांतिक प्रस्तावना

महात्मा गाँधी के जन्म का 150वाँ वर्ष सनिकट है। सभी राजनीतिक दल और राजनेता गाँधी के सपनों का भारत बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। अतः गाँधी की मृत्यु के 70 साल बाद यह विचार करना आवश्यक है कि गाँधी के सपने क्या थे? और किस प्रकार समाजवादी जननायक डॉ राममनोहर लोहिया ने उस सपनों को साकार करने का प्रयास किया। यह विषय इसलिए भी समीचिन है कि डॉ लोहिया की मृत्यु के 50 वर्ष हो गये और अनेक समाजवादी नेता लोहियावाद का ढिंडोरा पीटते हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

इस आलेख में गाँधी दर्शन से डॉ लोहिया की सैद्धांतिक प्रतिबन्धिता को दर्शाया गया है।

साहित्यावलोकन

लेखक— प्रेम सिंह, लेख लोहिया का स्त्री-विमर्श, प्रेम सिंह द्वारा रचित लेख लोहिया का स्त्री विमर्श मस्तराम कपूर द्वारा संवादित संस्मरण लोहिया (2014) में संकलित है। प्रेम सिंह ने अपने लेख के पूर्व डॉ लोहिया द्वारा रचित स्त्री विमर्श का अध्ययन किया। उन्होंने सप्तक्रांति, जाति और यौनी कटघरे, दौपदी या सावित्री, नर-नारी समता एवं यौनी सुचित का विशेष अध्ययन किया। उनका निष्कर्ष है कि डॉ लोहिया महात्मा गाँधी की तरह मौलिक चिंतक है। डॉ लोहिया उन सार्वजनिक नेताओं में हैं जिन्होंने समग्रता में जीवन का अध्ययन किया।

डॉ लोहिया का मत है कि नारी मुक्ति को आर्थिक प्रगति से नहीं जोड़ा जा सकता है वे पुरुष के मानसिक बनावट और दृष्टिकोण के परिवर्तन का आहवाहन करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐश्विया और अफ्रिका के अपेक्षा यूरोप और अमेरिका की नारी अधिक स्वतंत्र है। फिर भी नर-नारी समता का आदर्श वहाँ भी अधुरा है। डॉ लोहिया के विचारों का मौलिक आधार हिन्दू नारी है। फिर भी मुस्लिम समाज में बहुविवाह का उन्होंने विरोध किया उन्होंने पौराणिक हिन्दू प्रतीकों को बदलने का आहवाहन किया। उन्होंने सावित्री के स्थान पर दौपदी को आदर्श माना है।

डॉ लोहिया के अनुसार यौनी सुचिता का आदर्श नारी स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक है। प्रेम सिंह अपने लेख में इन निष्कर्षों से सहमत हैं। उन्होंने यह भी निष्कर्ष दिया है कि महात्मा गाँधी की तरह डॉ लोहिया के भी शिष्य उनके विचार, कार्यक्रम और आदर्शों को फलीभूत नहीं कर सके।

प्रस्तुत आलेख से संबंधित अनेक सामग्री उपलब्ध है। विशेषकर लोहिया रचनावली खण्ड- 1, 2 और 5 में लोहिया के गाँधी के संबंधों की विवेचना है कि



मोहित कुमार लाल
सहायक प्राध्यापक,
इतिहास विभाग,
एस0एस0 मेमोरियल कॉलेज,
राँची, झारखण्ड

E: ISSN NO.: 2349-980X

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

इनमें उन लेखों को भी शामिल किया गया है, जो डॉ लोहिया और गाँधी के विषय में लिखे गये हैं। खण्ड-2 में लोहिया की पुस्तक "विभाजन के अपराधी" को संकलित किया गया है। इसके अतिरिक्त उनकी जीवनी लेखक इन्दुमती केलकर की पुस्तक "डॉ लोहिया का जीवन दर्शन" में विस्तृत विवरण उपलब्ध है। औंकार शरद की अपनी पुस्तक "लोहिया एक प्रमाणिक जीवनी" का भी प्रस्तुत आलेख के लिए अध्ययन किया गया। औंकार शरद लोहिया के मित्र थे। अतः उनका विश्लेषण समसमायिक है। लोहिया के विषय में उनकी मृत्यु के पश्चात् भी पुस्तकें लिखी गयी, जिनमें मस्तराम कपूर की पुस्तक "रामनोहर लोहिया" एक महत्वपूर्ण कृति है। मस्तराम द्वारा संपादित पुस्तक "स्मरण लोहिया" के विभिन्न लेखों को भी अध्ययन सामग्री के रूप में प्रयोग किया गया है। यह पुस्तक 21 वीं सदी में लिखी गयी है। अतः इसके लेखों का महत्व वर्तमान संदर्भ में है। इसी प्रकार औंकार शरद द्वारा संपादित पुस्तक 'समता और सम्पन्नता' का भी अध्ययन किया गया। इस पुस्तक में लोहिया द्वारा लिखे गये लेखों को संकलित किया गया है। इन्हीं पुस्तकों के आधार पर मैंने अपने लेख को व्यरित किया है।

ऐतिहासिक दृष्टि से यह तथ्य सर्वमान्य है कि जब राम मनोहर लोहिया 1933 में जर्मनी से पीएच० डॉ कर भारत आये, तब उन्होंने समाजवादी धारा को अपने सार्वजनिक जीवन का आदर्श माना। इस काल में पंडित जवाहर लाल नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस के प्रति उनका अधिक आकर्षण था। प्रारंभ में महात्मा गाँधी के अहिंसक सत्याग्रह में उनकी निष्ठा नहीं थी। प्रारंभ में जब महात्मा गाँधी के अहिंसक सत्याग्रह में उनकी निष्ठा नहीं थी। प्रारंभ में जब महात्मा गाँधी ने चरखा संघ और खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से नवजारण का प्रयास कर रहे थे और इसके माध्यम से स्वतंत्रता की लक्ष्य की ओर बढ़ने की बात कहते थे, तब लोहिया इस विचार की लक्ष्य की ओर बढ़ने की बात कहते थे, तब लोहिया इस विचार से सहमत नहीं थे। इस प्रसंग में लोहिया ने स्वयं लिखा— "1934-35 में अखिल भारतीय ग्राम आयोग संघ और बाद में तालीमी संघ बना। यह रचनात्मक कार्यों का एक सिलसिला था। लेकिन तब भी मैं अनेक अन्य लोगों की तरह इसे पुरानी लीक समझता था। मेरे लेख का मूल विचार था कि तरह इसे पुरानी समझता था। मेरे लेख का मूल विचार था कि भारत की आजादी ऐसे टुकड़ों में व छोटे कार्यक्रमों से नहीं पाई जा अस्थायी रूप में लोगों में थोड़ी शक्ति तो संजो सकते हैं पर ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने की पूरी शक्ति नहीं जुटा सकते।"¹

यह प्रसंग स्पष्ट करता है कि प्रारंभ में लोहिया गाँधी के विचारों से सहमत नहीं थे। उन्हें प्रतीत होता था कि चरखा संघ खादी ग्राम उद्योग जैसे कार्यक्रमिकी महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ है। स्वतंत्रता के पश्चात जब कांग्रेस सरकार ने भारत के विकास के लिए वृहत उद्योगों का कार्यक्रम बनाया और महात्मा गाँधी के कुटीर लघु उद्योग कार्यक्रम को यथोचित सम्मान नहीं मिला, तब डॉ लोहिया को प्रतीत हुआ कि भारत जैसे नव स्वतंत्र राष्ट्र में छोटे अर्थात् कुटीर और लघु उद्योग के माध्यम से ही विकास किया जा सकता है। इस संदर्भ

में लोहिया जी ने छोटी मशीन नामक लेख में अपने विचार निम्न रूप में प्रकट किया है— "दुनिया के मंच पर दैत्य मशीनों का ही बोलबाला है, जितनी ज्यादा बड़ी हो, उतनी ही बेहतर। छोटी मशीन का यह प्रकट खंडन, किस हद तक असली और स्थायी है।

छोटी मशीन का विचार भारतीय स्थिति की एक खास जरूरत से पैदा हुआ था, जो दरअसल रंगीन चमड़ी वाले सभी पिछड़े लोगों की जरूरत है। यूरोपीय अमरीकी लोगों में आबादी और पूँजी देशों में जनशक्ति की बहुतायत है, जो यूरोप अमेरीका में पूँजी बहुत है। पिछड़े देशों में पूँजी की बड़ी कमी है। तो जनशक्ति है, उसका ज्यादा से ज्यादा बुद्धिपूर्ण इस्तेमाल करने के लिए एक ऐसे ढंग की मशीन की बात सोची गयी, जो उतनी बचत से ही बनाई जा सके जितनी उन इलाकों में संभव है। यहाँ यह बात बिलकुल तर्कसंगत लगती है।"²

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि गाँधी ने विकास के जिस मॉडल को अपनाया था। कालांतर में राम मनोहर लोहिया ने भी उसी मॉडल को विकास मॉडल माना। भारत जैसे राष्ट्रों में वृहत उद्योग से विकास की गति को तीव्र नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पूँजी और तकनीक दोनों के लिए विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः विकास की स्वदेशी अवधारणा को रोजगार मुखी हो, से ही विकास संभव है। रोजगार के बिना विकास समाज में आराजकता उत्पन्न करेगा। इस तथ्य को महात्मा गाँधी के बाद डॉ लोहिया ने गंभीरता के साथ अनुभव किया।

इसी प्रकार महात्मा गाँधी की तरह डॉ लोहिया भी सामाजिक समरस्ता हेतु समाज में जातीय बंधन को ढीला करना चाहते थे। गाँधी जी ने दलित उत्थान, मंदिर प्रवेश जैसे आंदोलन खड़ा किये, डॉ लोहिया ने 'जाति तोड़ो समाज जोड़ो' का प्रसिद्ध नारा दिया।

लोहिया की मान्यता थी कि— "जातिवाद का भयानक दलदल अभी बना हुआ है। यह दलदल इतना गहरा है कि बड़ा से बड़ा पथर इसके गर्भ में कहाँ चला जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता है।"³ लोहिया इस जाति प्रथा के दलदल को समाप्त करने के लिए जन-आंदोलन की आवश्यकता महसूस करते हैं। इस जन-आंदोलन के लिए उनका सूझाव है कि ' 'औरत, शुर्द्र, हरिजन, मुसलमान और आदिवासी समाज के इन 5 दबे हुए समुदायों को, उनकी योग्यता आज जैसे भी हो, उसका लिहाज किए बिना, उन्हें नेतृत्व के स्थानों पर बैठाना इस आन्दोलन का लक्ष्य होगा।"⁴ इस प्रकार जाति प्रथा का विरुद्ध संघर्ष ने डॉ लोहिया के विचार महात्मा गाँधी से साम्य रखते हैं।

महात्मा गाँधी ने हरिजन को विशेष संरक्षण देने हेतु 1932 में भीव राव अम्बेदकर के साथ पूना समझौता किया था। इस समझौता द्वारा सम्रादायिक पंचाट को अस्वीकार किया गया था और हरिजनों को विधानपालिकाओं में विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया था। डॉ लोहिया दलितों के इस जलन को अनुभव करते थे। अतः भीमराव अम्बेदकर जैसे बुद्धिजीवी व्यक्ति को डॉ लोहिया राजनीति के मुख्यधारा में लाना चाहते थे। इस हेतु उन्होंने अम्बेदकर से राजनीतिक गठबंधन हेतु वार्तालाप भी किया था। "लोहिया की आकंक्षा थी कि

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

डॉ 0 आम्बेडकर सोशलिष्ट पार्टी के साथ आएँ। केवल संगठन में ही नहीं बिल्कु पूरी तीतौर से सिद्धान्त में भी। वह मौका उनको नजदीक मालूम होता था। लेकिन इस बीच मौत आ गई।⁵

महात्मा गांधी नारी विमर्श के भी नायक थे। वे समाज में महिलाओं को उचित स्थान दिलाना चाहते थे। उन्होंने नारी शिक्षा के लिए कार्य किया। इसी प्रकार लोहिया भी नर-नारी समता के पक्ष में थे। उनकी सात क्रांतियों में नर-नारी समता एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। इन दोनों के नारी संबंधी विचारों की तुलना स्तम्भकार प्रेम सिंह ने अपने लेख “लोहिया का नारी विमर्श” में इन शब्दों में किया है— “गांधी के बाद डॉ राम मनोहर लोहिया को आधुनिक भारत का एक ऐसा मौलिक चिंतन कहा जा सकता है जिनकी मर्म भेदी जिज्ञासा जीवन को सम्रता में समझाने के साथ-साथ एक ऐसा दर्शन पाने की है, जिसके तहत दुनिया से हर तरह की गैर बराबरी को समाप्त किया जा सके और एक सभव समतामूलक समाज का निर्माण किया जा सके।”⁶ डॉ लोहिया महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी थे, उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा सामाजिक समता के लिए चलाया गया आंदोलन को आगे बढ़ाया, वे भारतीय नारी को निम्न जातियों की तरह ही पिछड़ा मानते थे और उन्हें विशेष अवसर देकर समाज की मुख्य धारा में पुरुषों के समान लाना चाहते थे।

महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सम-धर्म-संभाव का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। वे एक ऐसे संत थे जो मुसलमानों को स्वतंत्रता संग्राम की मुख्यधारा में शामिल करना चाहते थे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। वे मुसलमानों को न्याय दिलाना चाहते थे। महात्मा गांधी ने सम्प्रदायिक दंगों के समय सारे भारत में धूम-धूम कर अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इस समय भी जब गांधी के मुख्य चेले नेहरू और पटेल दिल्ली में रह गए सत्ता की भागीदारी के विचार-विमर्श में मग्न थे, उस समय लोहिया गांधी के साथ मिलकर दंगों की आग को बुझाने में लगे थे। महात्मा गांधी के परामर्श पर डॉ लोहिया कलकत्ते में मुस्लिम क्षेत्र में स्थित छात्रावास में जाकर छात्रों से मिले और शांति की अपील की।

डॉ लोहिया महात्मा गांधी की प्रेरणा से बंगाल की दौरा कर रहे थे, इसी समय गांधी के विचारों को लोहिया ने निम्न शब्दों में स्पष्ट किया था कि— “30 सितम्बर 1946 को चंडीपूर में नोआखाली में काम करने वाले सोशलिष्ट पार्टी के कार्यालयों की सभा में लोहिया ने कहा कि गांधी जी के नोआखाली कार्य के दो पहलू हैं 1) हिन्दू-मुसलमान के बीच का अविश्वास दूर करना और 2) राष्ट्रीयता का अदा करने वालों में आत्मविश्वास और बहादूरी बढ़ाना। हिन्दुस्तान के रंगमंच पर दो नाटक हो रहे हैं। एक श्रीरामपुर का और दूसरा संविधान सभा का। दिल्ली की खबरों से देशप्रेमी लोग प्रशुब्ध नहीं होते और हिन्दुस्तान का ब्रिटिश साम्राज्य भी दिल्ली में नहीं बिल्कु श्रीरामपुर नागा, पहाड़ गोवा, नेपाल और ऐसे हजारों सरहद के देहातों और जिलों में टूटेगा।”⁷

डॉ लोहिया ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर दिल्ली में भी दंगों के विरुद्ध अभियान चलाया। दिल्ली में

काम करते समय लोहिया ने एक समाचार देखा जिसमें यह लिखा था कि एक मुस्लिम महल्ले में 303 बन्दूक मिले जबकि वास्तविकता यह भी कि बन्दूक का नम्बर 303 था। लोहिया यह समाचार गांधी जी को दिखाया। लोहिया जी उत्तेजीत थे तब गांधी ने आस्वस्थ किया कि अच्छे कामों में बाधा उत्पन्न होती है। अपना कार्य करते रहो। डॉ लोहिया ने दिल्ली में सम्प्रदायिक सौहार्द के लिए विशेष लोगों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में महात्मा गांधी उपस्थित रहे, वह कांग्रेस कार्य समिति की बैठक को छोड़कर इस बैठक में शामिल रहे। यह दर्शाता है कि महात्मा गांधी सम्प्रदायिक सौहार्द को कितना महत्व देते थे, उनकी लोहिया जी से निकटता भी स्पष्ट होती है। ऑकार शरद ने इस घटना का उल्लेख अपनी पुस्तक ने इस प्रकार किया है— ‘एक दिन लोहिया का उमग आई। गांधी के पास जा कर बोले, “मैं एक की बात करने को दो तीन सौ चुने हुए हिन्दू-मुस्लिम और सिक्खों को बुलाऊँगा। आप भी उस सभा में रहे” गांधी ने स्वीकृति दी ‘ठीक है’ लोहिया ने तीनों सम्प्रदायों— हिन्दू मुसलमान और सिक्ख के लोगों से बातें करके वचन प्राप्त किए। साढ़े बारह बजे से कांग्रेस कार्य समिति की बैठक थी। सभा के बीच में ही गांधी की कार्य समिति के लिए बुलाहट हुई। गांधी ने कहला दिया मेरे बिना ही बैठक चलवा दों।’⁸

महात्मा गांधी भारत विभाजन के विरुद्ध थे। वे कहा करते थे कि भारत का विभाजन मेरी लास पर होगी। इसी हेतु उन्होंने सम्प्रदायिक समस्या का समाधान ढूँढ़ने का प्रयास किया था। परन्तु उनके चेले पंडित नेहरू और पटेल लॉर्ड माउण्ट वेटन से मिलकर विभाजन योजना को व्यवहारिक स्वरूप देने में लगे थे। अन्तोगत्वा बिना महात्मा गांधी की स्पष्ट सहमति के उन्होंने विभाजन की योजना को स्वीकार कर लिया। गांधी जी की तरह डॉ लोहिया और उनके समाजवादी मित्र विभाजन के विरुद्ध थे। उनके मन में भारत माता का जो स्वरूप अंकित था, उसे वे खण्डित नहीं करना चाहते थे। विभाजन को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक बुलायी गयी थी, उसमें जय प्रकाश और लोहिया जी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया गया था। डॉ लोहिया ने अपनी पुस्तक विभाजन के गुन्हागार में स्पष्ट रूप से लिखा है कि केवल उन्होंने और जय प्रकाश ने ही बैठक में विभाजन का मुखर विरोध किया। मौलाना आजाद और सीमांत गांधी विभाजन के विरुद्ध थे। परन्तु उनका विरोध सांकेतिक ही रहा था। इस बैठक का उल्लेख करते हुए डॉ लोहिया ने महात्मा गांधी के वक्तव्य को निम्न रूप में उल्लेखित किया है— “शिकायत सी करते हुए उन्होंने श्री नेहरू और सरदार पटेल से कहा कि विभाजन को मान लेने के पहले उन लोगों ने उसकी खबर उन्हें नहीं दी। गांधी जी के अपनी बात पूरी कर सकने के पहले श्री नेहरू ने कुछ आवेश में आकर उन्हें टोका और कहा कि उनको वे पूरी तौर पर जानकारी देते हैं। महात्मा गांधी के दुबारा यह कहने पर कि विभाजन की योजना की जानकारी उनको नहीं थी। श्री नेहरू ने अपनी पहली बात को थोड़ा सा बदल दिया। उन्होंने कहा कि नोआखली इतनी दूर है कि चाहे उन्होंने उस योजना को

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

तफसील में न बतलाया हो, पर विभाजन के बारे में उन्होंने उस योजना को तफसील में न बतलाया हो, पर विभाग के बारे में उन्होंने मोटे तौर पर गाँधी जी को लिख दिया था।⁹ लोहिया ने इसी बैठक में गाँधी जी के उस प्रस्ताव का उल्लेख किया है, जिसे वे महात्मगा गाँधी का मास्टर स्टोक मानते हैं।

“कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के वायदे की लाज रखे, इसलिए वे कांग्रेस से कहेंगे कि विभाजन के सिद्धान्त को वह मान ले। सिद्धान्त को मान लेने के बाद, उसको कार्यान्वित करने के बारे में एक घोषणा करनी चाहिए। उसे यह मांग करनी चाहिए कि जैसे ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग विभाजन की स्वीकृति की सूचना दे, ब्रिटिश सरकार और वाइसराय इट जाएँ, बिना और किसी के दखल के कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग मिल कर देश का विभागन करेंगे। मैं तब भी मानता था और आज भी मानता हूँ कि यह एक लावावाद नीति कुशल बात थी। संत के साथ—साथ उनके नीति—कुशल होने की बात कही गई। पर यह कुशल और निपुण प्रसाव, जहाकृ तक मुझे मानना है कि अब तक लिपिबद्ध नहीं किया गया।”¹⁰ डॉ लोहिया महात्मा गाँधी के मृत्यु से भी कारण आहत हुए थे कि महात्मा गाँधी ने उनसे कहा था कि कल आनाख, कांग्रेस और तुम्हारी पार्टी के विषय में कोई अंतिम निर्णय अथवा निश्चय करना चाहता हूँ। मृत्यु ने गाँधी के विचार उनके मन में ही बना लिये, लोहिया अनुमान ही लगाते रहे कि गाँधी क्या कहने वाले थे।

अपने अराध्य की शव यात्रा के समय भी डॉ लोहिया दुःखी हुए। क्योंकि अधिकांश नेता जूता पहने हुए थे और उस तोप गाड़ी में बैठ गये जिसमें महात्मा का शव रखा था। डॉ लोहिया इस प्रकार के आचरण को अमर्यादित मानते थे। डॉ लोहिया ने गाँधी के मृत्यु के बाद भी गाँधी के विचार सिविल नफरमनी को कार्य रूप दिया। उनके ओर महात्मा गाँधी के विचारों के विषय में दिल्ली के एक प्रध्यापक एम०ए० खुसरों ने कहा है कि—“भारत में गाँधी के बाद राम मनोहर लोहिया ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राजकीय, आर्थिक, तकनीकी व औद्योगिक सत्ता के रूपों को मनुष्य की आजादी के संदर्भ में देखने की कोशिश की। आज के भयंकर उत्पादन गिरावट से यह स्पष्ट हो कि भारत के आर्थिक विकास के लिए भी विकेन्द्रीकरण एक मात्र रास्ता है।”¹¹

डॉ लोहिया ने प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के लिए चोकम्बा राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें केन्द्र, प्रांत, जिला और पंचायत को इकाई माना गया। वस्तुत ये विचार भी गाँधी जी के ग्राम स्वराज के विचार का ही विस्तार है। गाँधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को कांग्रेस सरकार ने सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया किन्तु कार्य रूप नहीं दिया। जबकि डॉ लोहिया और उनकी समाजवादी पार्टी ने प्रशासनीय विकेन्द्रीकरण को स्वीकार कर इस दिशा में कार्य किया। यहाँ पर भी डॉ लोहिया महात्मा गाँधी के विचारों के उत्तराधिकारी प्रतीत होते हैं।

वस्तुतः डॉ लोहिया ने महात्मा गाँधी के विचारों को केवल सैद्धान्तिक स्तर पर ही स्वीकार नहीं किया, उसे व्यवहारिक रूप भी प्रदान किया। इसी कारण डॉ लोहिया

ने कहा है कि गाँधीवाद तीन भागों में विभाजित हो गए। सरकारी गाँधीवादी, गढ़ी गाँधीवादी और कुजात गाँधीवादी। महात्मा गाँधी के 100वें वर्ष शताब्दी समारोह के समय लोहिया जीवित नहीं थे, किन्तु इससे 6 वर्ष पूर्व अपने एक लेख में लोहिया ने देशवासियों को संचेत किया था कि महात्मा गाँधी को याद करने का अर्थ है, इनके विचारों से प्रेरणा लेकर उसे कार्यरूप दिया जाय। इस संदर्भ में उन्होंने लिखा था कि “एक सरकारी गाँधीवादी जिनके नेता है श्री नेहरू और गाँधीवादियों में आजकल ज्यादातर सरकारी गाँधीवादी ही है। दूसरे प्रकार के हैं—मठ—मंदिर वाले गाँधीवादी, मठाधीश गाँधीवादी, जिनके नेता है आचार्य विनोबा भावे। वे भी अपने समय के अनुसार गाँधीवाद को सरकारी गाँधीवाद के साथ इधर—उधर सहयोग करते हुए बनाए रखना चाहते हैं। एक तीसरा प्रकार है वह है कुजात गाँधीवादियों को, ऐसे गाँधीवादी जो जाति के बाहर निकाल दिए गए हैं, जिनको न तो सरकारी और न ही मठाधीश गाँधीवादी मानते हैं, मेरे जैसे लोग। उनका नेता तो कोई नहीं।”¹²

वस्तुतः अगले वर्ष महात्मा गाँधी के जन्म के 150 वर्ष होने वाले हैं। इस संदर्भ में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। अतः पुनः यह विचार संदर्भित है कि हम महात्मा के विचारों को ग्रहण करेंगे कि केवल रस्म अदायगी होगी। डॉ लोहिया गाँधी के विचारों से सहमत ही नहीं थे। वरन् उसे कार्य रूप देना चाहते थे। महात्मा गाँधी और डॉ लोहिया दोनों का दुर्भाग्य रहा है कि उनके शिष्यों ने उनके विचारों को पुष्टि और पल्लवित नहीं किया।

“गाँधी के बाद लोहिया ऐसे चिंतक भी हैं जिनके क्षरा पैदा की गई वैचारिक और आंदोलनात्मक ऊर्जा का अधिकांश फलीभूत नहीं हो पाया। साम्यवाद और पूँजीवाद दोनों को स्वतंत्रता और समता के संदर्भ में बंद व्यवस्थाएँ मानते हुए उन्होंने जिस समाजवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया, उससे प्रभावित विद्वान और नेता दर्शन, संस्कृति, सम्यता, धर्म समाज, राजनीति, साहित्य भाषा और शिक्षा के क्षेत्र में उसका सम्यक शास्त्र विकसित नहीं कर पाए।”¹³

निष्कर्ष

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि डॉ लोहिया महात्मा गाँधी के वैवित्तत्व और विचारों से प्रभावित ही नहीं थे, उन्होंने अपने जीवन काल में गाँधी के विचारों को विकसित किया और उसे लागू करने के मार्ग ढूँढे। गाँधीवाद की तरह लोहियावाद भी एक सिद्धान्त बनकर रह गया है क्योंकि महात्मा गाँधी की तरह ही लोहिया के शिष्य भी सिद्धान्त के अपेक्षा सत्ता प्राप्ति के लक्ष्य में संलिप्त होकर वैचारिक मार्ग से विचलित हो गये।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. कृपुर, मस्तराम (संपादी), “लोहिया रचनावली” खण्ड—1, (लेख—महात्मा गाँधी का कुछ प्रसंग—राम मनोहर लोहिया), अनामिका पब्लिशर्स नई दिल्ली, 2008, पृष्ठ—265
2. राम मनोहर लोहिया, छोटी मशीन, ओंकार शरद (संपादी), ‘समता और सम्पन्नता’, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2008, पृष्ठ—70

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

3. राम मनोहर लोहिया, जातिवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कपुर, सस्तराम (संपाद), "लोहिया रचनावली" खण्ड- 2, अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2008, पृष्ठ- 118
4. लोहिया, राम मनोहर, "जाति-प्रथा नाश : क्यों और कैसे? कपुर मस्तराम, (संपाद), "लोहिया रचनावली खण्ड- 2, पूर्वोद्धृत
5. केलकर इंदुमति, डॉ राम मनोहर लोहिया : जीवन और दर्शन, अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2010, पृष्ठ- 348
6. प्रेस सिंह, लोहिया का स्त्री विमर्श कपुर, मस्तराम (संपाद), "स्मरण-लोहिया" अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2014, पृष्ठ- 198
7. केलकर, इंदुमति, पूर्वोद्धृत, पृ०- 152
8. शरद, ओंकार, एक प्रमाणिक जीवन : लोहिया, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2001, पृष्ठ- 149
9. राम मनोहर लोहिया, विभाजन के अपराधी, कपुर, मस्तराम (संपाद), "लोहिया रचनावली" खण्ड- 2, अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2008, पृष्ठ- 308
10. लोहिया, राममनोहर, भारत विभाजन के गुनहगार, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2012, पृष्ठ सं- 28-29
11. शर्मा, यतिन्द्रनाथ, डॉ लोहिया- अर्थ दर्शन, चित्रा प्रकाशन, कानपुर, 1979, पृष्ठ- 161
12. राम मनोहर लोहिया, सरकारी मदी और कुजात गँधीवादी कपुर, मस्तराम (संपाद), "लोहिया रचनावली" खण्ड- 5, अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2008, पृष्ठ- 242
13. प्रेस सिंह, लोहिया का स्त्री विमर्श, अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2014, पृष्ठ- 198